DR. VIKAS MAHATME (Maharashtra): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. BANDA PRAKASH (Telangana): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRI K.C. RAMAMURTHY (Karnataka): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री कैलाश सोनी (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री अजय प्रताप सिंह (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री राम विचार नेताम (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री राज बब्बर (उत्तराखंड): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री प्रेम चन्द गुप्ता (झारखंड): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

Need to check illegal trade and trafficking of livestock

श्री महेश पोद्दार (झारखंड): सभापति महोदय, आजकल देश में कुछ अवांछनीय घटनाएं हो रही हैं, उस आलोक में मैं यह विषय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। हमारे देश में पशुधन, विशेषकर गोवंशीय पशुधन की तस्करी बहुत बड़ी समस्या बन गयी है। दुखद यह है कि पशुधन की तस्करी अधिकांशतः काटे जाने, मांस और चमड़े के कारोबार के लिए की

जाती है। ऐसी घटनाओं से देश के एक बड़े वर्ग की भावनाएं आहत होती हैं, जो कई बार अप्रिय घटनाओं की वजह भी बनती हैं।

महोदय, ताज्जुब की बात है कि यदि कोई बाघों को बचाने की बात करता है तो उसे social activist कहा जाता है, कोई कुत्तों को बचाने की बात करता है तो उसे पशु प्रेमी या animal lover कहा जाता है, लेकिन यदि कोई गौवंशीय पशुओं को बचाने की बात करता है तो उसे पुराणपंथी, कट्टर या fundamentalist कहा जाता है। कई बार नज़रिए का यह फर्क भी अप्रिय घटनाओं की वजह बनता है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तथा इसके मूल, यानी पशु तस्करी को पूरी तरह रोकने के लिए वैधानिक एवं प्रशासनिक प्रतिबंधक उपायों की जरूरत है और कठोर कानून बनाकर उन पर सख्ती से अमल करना जरूरी है।

महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई, 2016 को सीमा पार पशुओं की बड़े पैमाने पर हो रही तस्करी को लेकर दायर याचिका का निपटारा करते हुए पर्यावरण मंत्रालय को बंग्लादेश में पशुओं की तस्करी की समस्या से निपटने के लिए एक विस्तृत योजना बनाने का निर्देश दिया था। कई बार मांसों को भी इधर-उधर ढोया जाता है, जिनकी पहचान को लेकर भी अप्रिय स्थिति होती है और लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं।

महोदय, मेरा सुझाव है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में पशु ले जाने के लिए कोई परमिट की व्यवस्था हो, विशेषकर सीमावर्ती राज्यों में। इसके अतिरिक्त जो भी वर्तमान कानून है, उसे पुनः देखा जाए, उसका पुनरीक्षण किया जाए और उसके संबंध में जो बदलाव आवश्यक हैं, वे किए जाएं, धन्यवाद।

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

डा. अनिल जैन (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री समीर उरांव (झारखंड): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्रीमती रूपा गांगुली (नाम निर्देशित): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

श्रीमती सम्पतिया उइके (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

Protection of small, marginal and tenant farmers in Odisha

SHRI AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, with your permission, I would like to raise the issue of protection of small, marginal and tenant farmers.